

**Reports and Accounts (2017-18) of the Dattopant Thengadi National Board for Workers Education, Nagpur and the V. V. Giri National Labour Institute, Noida, Uttar Pradesh and related papers**

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (i) (क) 2017-18 के वर्ष के लिए दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड (पूर्ववर्ती केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड), नागपुर का उनसठवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (ख) उपर्युक्त बोर्ड के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[Placed in Library. See No. L.T. 1952/17/19]

- (ii) (क) 2018-19 के वर्ष के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (ख) उपर्युक्त संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[Placed in Library. See No. L.T. 2119/17/20]

**I Notification of the Ministry of Housing and Urban Affairs**

**II Reports and Accounts (2018-19) of the National Institute of Urban Affairs (NIUA), New Delhi and the Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Amethi, Uttar Pradesh and related papers**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS; THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I lay on the Table —

- I A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Notification No. G.S.R. 814 (E), dated the 29th October, 2019, publishing the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Regulations, 2019, under Section 58 of the Delhi Development Act, 1957.

[Placed in Library. See No. L.T. 2161/17/20]

## II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

- (i) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Urban Affairs (NIUA), New Delhi, for the year 2018-19, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 2158/17/20]

- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Amethi, Uttar Pradesh, for the year 2018-19, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Statement by Government accepting the above Report.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 2160/17/20]

**I Notifications of the Ministry of Home Affairs****II. Report and Accounts (2018-19) of the Land Ports Authority of India, New Delhi and related papers**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- I. (i) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उप-धारा (5) के अधीन जिला गुरदासपुर, पंजाब राज्य की डेरा बाबा नानक थल जांच चौकी को सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/से निकास के लिए प्राधिकृत आप्रवासन जांच चौकी के रूप में नामोनिर्दिष्ट करने वाली गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 781 (अ), दिनांक 11 फरवरी, 2019 की एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में)।

[Placed in Library. *See* No. L.T. 2140/17/20]

- (ii) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 (क) की उप-धारा (2) के अधीन डेरा बाबा नानक, जिला गुरदासपुर (पंजाब) स्थित आप्रवासन जांच चौकी के लिए विदेशियों विषयक आदेश 1948 के प्रयोजनार्थ 11 फरवरी, 2019 से मुख्य आप्रवासन अधिकारी, बीओआई डेरा बाबा नानक को "सिविल प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त करने वाली गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 782 (अ), दिनांक 11 फरवरी, 2019 की एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में)।

[Placed in Library. *See* No. L.T. 2141/17/20]